

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/00699/2024/128

दिनांक : 04-02-24

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री विजय कुमार बैरवा, कनिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, निवाई टोंक, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 04.10.2021 है तथा जिनकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 03.10.2023 को पूर्ण हो गई है, का दिनांक 04.10.2023 से रूपये 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन किया जाता है। इनके द्वारा आरएससीआईटी परीक्षा दिनांक 30.10.2021 उत्तीर्ण करली गई है।

उक्त कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धी का नगद लाभ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से देय होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/00699/2024/128

दिनांक : 07-02-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी निवाई, टोंक।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री विजय कुमार बैरवा, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

RajKaj Ref
5424884

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :04-02-2024 08:13:16